भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *21

दिनांक 21.07.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत सफाई कर्मचारी

†*21. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के अंतर्गत बड़ी संख्या में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता कार्यकलापों को बंद कर दिए जाने के कारण काम से हटा दिया गया है;
(ख) यदि हां, तो स्वच्छता कार्यक्रम को बंद किए जाने और इन कामगारों को काम से हटाए जाने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का विचार स्वच्छता कार्यक्रम को बहाल करने और प्रभावित कामगारों को पुनः नियुक्त करने का है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्षद्वीप में स्वच्छता सेवाओं को सुदृढ़ करने और प्रभावित कामगारों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत सफाई कर्मचारी' के संबंध दिनांक 21.07.2026 को उत्तरार्थ में लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *21 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में "पंचायत", 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों कों, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल हैं, के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधानमंडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, ग्यारहवी अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। इन 29 विषयों में से एक विषय "*स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय*" भी शामिल है।

तदनुसार, पंचायतों से संबंधित सभी मामले, जिनमें सफाई कर्मचारियों को भर्ती करना, स्वच्छता कार्यक्रम को कार्यान्वित करना आदि भी शामिल हैं, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप सहित, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपालों और प्रशासकों को विभिन्न मामलों के संबंध में अधिकार सौंपे गए हैं।

संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ने सूचित किया है कि उनके संघ राज्य क्षेत्र में स्वच्छता गतिविधियाँ बंद नहीं की गई हैं और स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए प्रशासन ने 332 बहु-कार्य कर्मचारियों/बहु-कुशल कर्मियों को 210 आकस्मिक श्रमिकों के स्थान पर तैनात किया है, जो लगभग 58% की वृद्धि है।

(ग) से (घ): संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ने सूचित किया है कि सभी आवासीय द्वीपों में स्वच्छता सेवाएं निर्बाध रूप से जारी हैं और स्वच्छता कार्यक्रम बंद नहीं किया गया है। पर्याप्त नियमित जनशक्ति की तैनाती के कारण 31.05.2026 से अस्थायी श्रमिकों की नियुक्ति बंद कर दी गई है। इसके अलावा, नियमित कर्मचारियों की तैनाती के माध्यम से स्वच्छता सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है, जिससे सभी आवासीय द्वीपों में निर्बाध स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। ग्राम (द्वीप) पंचायतों के माध्यम से स्वच्छता और संबद्ध लोक सेवा कार्यों को करने के लिए मौजूदा जनशक्ति पर्याप्त है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ने जानकारी दी है कि वहां के सभी 10 गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं 100% लागू हो गईं हैं तथा उन्हें ओपेन डिफिकेशन फ्री (ODF) प्लस (मॉडल) घोषित कर दिया गया है।
